कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद– अल्मोड़ा।

पत्रांकः सीएफओ/अ0सु0–1/2019 दिनांक अप्रैल 29, 2019

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
जी0 डी0 बिरला मेमोरियल स्कूल
बिरलाग्राम, चिलियानौला
रानीखेत, जनपद–अल्मोड़ा।

विषय :– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र ए0यू0 आई0डी0 नम्बर–48583973 दिनांक 18–04–2019 के अनुसार जी0 डी0 बिरला मेमोरियल स्कूल बिरलाग्राम, चिलियानौला रानीखेत जनपद–अल्मोड़ा की अग्निसुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अधिकारी अग्निशमन केन्द्र रानीखेत द्वारा किया गया। प्रभारी अधिकारी अग्निशमन केन्द्र रानीखेत की निरीक्षण आख्याः अ0सु0व्यव0/FS RKT/2018 दिनांक अप्रैल 27, 2019 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि 60 दिवस के भीतर स्कूल परिसर में स्थित प्रत्येक हॉस्टल भवन में 01 अदद होजरील जोकि 5000 लीटर क्षमता के टेरेस टैंक एवं उसमें उचित प्रेशर युक्त 450 लीटर/मिनट क्षमता के टेरेस पम्प से कनेक्टेड हो का प्राविधान कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त अवधि में सुझायी गयी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण नहीं की जाती है तो यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः प्रभारी अधिकारी अग्निशमन केन्द्र रानीखेत की उपरोक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जी0 डी0 बिरला मेमोरियल स्कूल बिरलाग्राम, चिलियानौला रानीखेत जनपद–अल्मोड़ा का अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 28 मार्च 2019 से 27 मार्च 2020 तक निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नवीनीकृत किया जाता हैः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. स्कूल के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशाा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।

(वंश बहादुर यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा